

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-14/2006

पटना, दिनांक-

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4830 दिनांक-04.11.2024 द्वारा श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-21.11.2024 से 20.12.2024 तक कुल 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री जायसवाल द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि को दिनांक-26.12.2024 तक विस्तार करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः श्री जायसवाल का पूर्व में स्वीकृत उपार्जित अवकाश से संबंधित अधिसूचना ज्ञापांक-4830 दिनांक-04.11.2024 को रद्द करते हुए दिनांक-21.11.2024 से 26.12.2024 तक कुल 36 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री जायसवाल के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (263-36=227) (दो सौ सत्ताईस) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

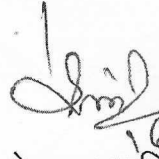
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-14/2006 237

पटना, दिनांक- 17/10/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना -800015/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, कर भवन, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।